



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

[ Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr\_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.40परावि/आप्र/डीपीसी/15/1616

जयपुर, दिनांक: 29/10/20

::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला जयपुर के लिए जिला आयोजना समिति का गठन/पुनर्गठन विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ4 0 परावि/आप्र/डीपीसी/1019 दिनांक 15.05.2015 द्वारा किया गया था। जिला आयोजना समिति जयपुर के लिये शहरी क्षेत्र के सात और सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। अतः पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में सात नव निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये जिला आयोजना समिति का पुनः निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	श्री मूलचन्द मीणा	अध्यक्ष	-
2.	श्री अजयपाल सिंह गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री गोपाल लाल मीणा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्रीमती मंजू देवी कुमावत	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्रीमती माया भारद्वाज	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचिता(ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्री प्रवीन्द्र कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्री शंकर लाल नारोलिया	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचिता(ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्रीमती सुगना देवी कुलदीप	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्रीमती सुमित्रा देवी डबरिया	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्री हंसराज मीणा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्री श्रीराम गुर्जर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्री अशोक गर्ग	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
13.	श्री तेजेश कुमार शर्मा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
14.	श्रीमती हुकम कंवर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
15.	श्री अशोक कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
16.	श्री गोपाल सिंह मीणा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
17.	श्री जगदीश सैनी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
18.	श्रीनानकराम गहनोलिया	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)

19.	श्री रतनलाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
20.	श्री राजकुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)
21.	श्री राहुल शर्मा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(शहरी क्षेत्र)

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य है। दो सदस्य (माननीय लोक सभा/विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संस्था के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।

संयुक्त शासन सचिव  
जिला आयोजना

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त शासन सचिव  
जिला आयोजना